<u>उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।</u>

पत्रॉकः 34528-38 /वसूली/ओ0टी0एस0/18–19 दिनांकः 11.4.2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0–सी–02/वसूली/ओ0टी0एस0/2018–19,दि0 05.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "एक मुश्त समाधान योजना–2018" के कियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है। चूँकि वसूली वर्ष 2017–18 की समाप्ति में मात्र तीन माह से भी कम का समय अवशेष रह गया है। विगत 9 माह में बैंक देयों की वसूली कुल मॉग के सापेक्ष प्रदेश स्तर पर मात्र 18.12 प्रतिशत हुई है, जो कि वर्तमान बैंक की वित्तीय स्थितियों के कदाचित अनुकूल नहीं है। बैंक को अपनी देनदारियों के सुगमता पूर्वक निर्वहन में कठिनाईयों का समाना करना पड़ रहा है।

अतएव उचित होगा कि बैंक में लागू की गई "एक मुश्त समाधान योजना–2018" के अन्तर्गत अधिकाधिक बकायेदारों को प्रेरित कर उनसे बकाया धनराशि जमा कराई जाय। जिससे कि बैंक का वित्तीय प्रवाह अपेक्षानुरूप हो सके। योजना के सफल बनाने हेतु आपके स्तर से समुचित प्रयास इस प्रकार किये जाये कि योजना का लाभ कृषकों को शत–प्रतिशत प्राप्त हो जाये और कोई भी कृषक इस योजना के लाभ से वंचित न रहने पाये। उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधोलिखित निर्देश दिये जा रहे है–

1. सर्वप्रथम "एक मुश्त समाधान योजना–2018" योजना हेतु निर्गत परिपत्र का समस्त स्टाफ भली–भॉति अध्ययन कर लें, ताकि आच्छादित बकायेदारों को दी जाने वाली छूट के बारे में उनको विधिवत् अवगत कराया जा सके।
2. "एक मुश्त समाधान योजना–2018" हेतु निर्गत परिपत्र की **एक प्रति मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, राजस्व विभाग, एवं सहायक आयुक्त एवं अन्य समस्त अधिकारियों** को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपलब्ध करा दें, तथा उनसे बैंक देयों की वसूली में अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु, उक्त के परिपेक्ष्य में अनुरोध कर समीक्षा बैठकें आहूत करायें।
3. "एक मुश्त समाधान योजना–2018" हेतु निर्गत परिपत्र की एक प्रति अपने **शाखा प्रतिनिधि एवं प्रबन्ध समिति के संचालक मण्डल के सदस्य** को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपलब्ध करा दें, तथा उनसे भी कृषकों को योजना के बारे में अधिकाधिक लाभान्वित कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।
4. उक्त योजना के लाभ के सम्बन्ध में श्रेणीवार आच्छादित होने वाले बकायेदारों का चिन्हांकन करते हुए पृथक–पृथक विवरण तैयार कर लें तथा बकायेदारों को प्राप्त होने वाली छूट से अभियान के तहत दि0 20.04.2018 तक प्रत्येक कृषक को नोटिस/व्यक्तिगत तकाजे एवं अन्य संचार के माध्यमों से अवगत करा दें।
5. योजना का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जाये, इस हेतु शाखा, तहसील, ब्लाक, जिला स्तर पर तथा बड़े कस्बों में बैनर आदि लगवायें एवं पैम्फलेट के माध्यम से भी सूचित किया जाय(संलग्न बैनर का प्रारूप)।
6. योजना को सफल बनाने हेतु प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण नियमित रूप से करते रहें। भ्रमण के दौरान ओ0टी0एस0 के सन्दर्भ में **ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य** से भी मिलकर योजना के सन्दर्भ में अवगत कराते हुए सहयोग प्राप्त करें।
7. ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत कुल आच्छादित बकायेदरों में से माह अप्रैल में 30 प्रतिशत, माह मई में 35 प्रतिशत एवं माह जून में 35 प्रतिशत, के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रतिमाह पूर्ति सुनिश्चित की जाय

8. योजना के अन्तर्गत शाखा के कुल आच्छादित पात्र बकायेदारों का अपने अधीनस्थ समस्त टोली/स्टाफ के मध्य तत्काल आवंटित कर दें, तथा नियमित रूप से समीक्षा भी करते रहें।
9. योजना के अन्तर्गत ऐसे बड़े बकायेदार जिन पर कार्यवाही भी प्रचलन में है,उन बकायेदारों को योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली छूट के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए उन्हें अपना बकाया जमा कराने हेतु प्रेरित करें।
10. शाखा के **50 बड़े बकायेदारों, शून्य वसूली वाले बकायेदारों एवं भूमि विक्रय वाले बकायेदारों,** को विशेष रूप से योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली छूट से अवगत करायें तथा उक्त ऋण खातों को बन्द करने का प्रयास गम्भीरतापूर्वक किया जाय।
11. योजना का लाभ प्राप्त करने वाले ऋणी सदस्यों/बकायेदारों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों मा0 सांसद, विधायक, सदस्य बैंक संचालक मण्डल के, माध्यम से ''एकमुश्त समाधान योजना'' के अन्तर्गत बन्द किये गये ऋण खाते का प्रमाण पत्र सम्बन्धित कृषकों को वितरित कराया जाय।(संलग्न प्रमाण पत्र)
12. **योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु मुख्यालय को पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना पाक्षिक रूप से मण्डल स्तर पर संकलित करते हुए वसूली अनुभाग की ई0मेल0आई0डी upsgvbrec@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय(संलग्न प्रारूप)।**

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ''एकमुश्त समाधान योजना''(ओ0टी0एस0) का व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र कृषकों को लाभान्वित करते हुए वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–<u>निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

1. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, लि0 प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ, को इस आशय के साथ कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अपने पर्यवेक्षणाधीन शाखाओं पर नियमित रूप से भ्रमण कर, एक मुश्त समाधान योजना–2018 के मासिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। योजना को सफल बनाने हेतु आप अपने अधीनस्थ शाखाओं का गहन अनुश्रवण नियमित रूप से अवश्य करें, जिससे कि योजना के अर्न्तगत अधिकाधिक कृषकों को लाभ प्राप्त हो सके एवं वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति शत–प्रतिशत हो सके।
2. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की समस्त शाखाओं को ई0मेल0 करने हेतु।
3. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
4. सदस्य संचालक मण्डल, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता,उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. आयुक्त एवं निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
10. सभापति के निजी सचिव को, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

शाखा .... , जनपद.............................

के ऐसे बकायेदार जिन्हे **'ऋण मोचन योजना'** का लाभ नही मिला, उन्हे भी लाभ/राहत देने के लिए

उ0प्र0सरकार की कृषकों हेतु हितकारी पहल एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश जारी कर

बहुप्रतीक्षित

'एक मुश्त समाधान योजना–2018'

लागू

बकायेदार ऋणी सदस्यों को ब्याज में आकर्षक छूट पाने का स्वर्णिम अवसर

योजना की पात्रता :

- दि0 31.03.1997 तक एवं उससे पूर्व के ऋणी सदस्यों को देय बकाया मूलधन जमा करने पर शत–प्रतिशत तक ब्याज में छूट।
- दि0 1.04.1997 से दि0 31.03.2007 तक के मध्य ऋण प्राप्त करने वाले बकायेदार सदस्यों से बकाया मूलधन एवं लिए गये ऋणराशि के बराबर ही बकाया ब्याज जमा करने का अवसर। अवशेष देय समस्त ब्याज शत प्रतिशत माफ।
- दि0 1.04.2007 से दि0 31.03.2012 तक के मध्य ऋण प्राप्त करने वाले बकायेदार सदस्यों को देय समस्त मूलधन जमा करने पर देय समस्त ब्याज में 50 प्रतिशत तक की भारी छूट।

योजना दिनांक 31.03.2012 तक या उससे पहले के वितरित ऋण पर ही लागू

योजना सीमित अवधि तक के लिए लागू

अधिक जानकारी के लिए तुरन्त शाखा से सम्पर्क करें।

कार्यालय दूरभाषः शाखा प्रबन्धक मोबाईल नं0 6390200– – –

योजना के सम्बन्ध में बैंक मुख्यालय के सम्पर्क सूत्र–प्रबन्ध निदेशक कैम्पः 0522 3056439, महा प्रबन्धक(वसूली) कैम्पः 0522 3056353, मो0नं0 6390200600
सहायक महा प्रबन्धक(वसूली) कैम्पः 0522 3056390, मोब.नं. 6390200390, वसूली अनुभागः 0522 3056415

सावधि जमा योजना आकर्षक ब्याजदर पर उपलब्ध	शाखा के सदस्यों को जमा राशि के ब्याज पर आयकर की छूट

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा..................जनपद.........................मण्डल..................

'एक मुश्त समाधान योजना–18 का साप्ताहिक विवरण पत्र– (धन0 लाख रू0 में)

क्र0 सं0	शाखा का नाम	श्रेणी–1 से आच्छादित प्रकारणों का विवरण					श्रेणी–2 से आच्छादित प्रकारणों का विवरण					श्रेणी–3 से आच्छादित प्रकारणों					कुल तीनों श्रेणियों का विवरण(श्रेणी–1,2,3) का कुल योग					समझौते के अन्तर्गत जमा धन0 का विवरण					
		बकायेदार/ऋणी सदस्यों की संख्या	समझौता योग्य धन0 (दि0 31.03.18 को)				बकायेदार/ऋणी सदस्यों की संख्या	समझौता योग्य धन0 (दि0 31.03.18 को)				बकायेदार/ऋणी सदस्यों की संख्या	समझौता योग्य धन0 (दि0 31.03.18 को)				बकायेदार/ऋणी सदस्यों की संख्या	समझौता योग्य धन0 (दि0 31.03.18 को)				समझौतों की सं0	देय समस्त मूलधन	देय समस्त ब्याज	कुल देय धन0(24+25)	कुल देय छूट की धन0	कुल जमा की गई धन0(27-28)
			कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	समझौता योग्य कुल धन0	दी जाने वाली छूट की धन0		कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	समझौता योग्य कुल धन0	दी जाने वाली छूट की धन0		कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	समझौता योग्य कुल धन0	दी जाने वाली छूट की धन0		कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	समझौता योग्य कुल धन0	दी जाने वाली छूट की धन0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
	योग																										

नोटः– उक्त सूचना मण्डलीय कार्यालय द्वारा संकलित की जायेगी।

ह0
शाखाआंकिक

ह0
शाखा प्रबन्धक

Email: upsgvb@yahoo.in

दुरभाष: 0522 2238844,3056439
PHONES: 3056353, 3056415,3056390
फैक्स : 0522 2239806

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0

प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

शाखा................................जनपद.................................. ।

:प्रमाण पत्र:

उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश के दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन निवेश ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक में **"एक मुश्त समाधान योजना–2018"** लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत ऋणी सदस्यों/बकायेदारों को **ब्याज में छूट प्रदान कर** लाभान्वित किया गया है।

तद्क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. पुत्र श्री..निवासी .... जनपद..........................द्वारा शाखा से लिये गये ऋण खाता सं0...............के सापेक्ष दि0 ....को देय कुल समस्त धन0 रू0 ....के सापेक्ष मु0 ....एक मुश्त जमा कर रू0 ....छूट **"एक मुश्त समाधान योजना–2018"** की पात्रता श्रेणी–1/2/3 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किया गया है।

ह0/–

शाखा आंकिक
(मोहर सहित)

ह0–

शाखा प्रबन्धक,
(मोहर सहित)